मेला प्रदर्शनी एवं जलसों से सम्बन्धित विद्युत अधिष्ठापन

मेला प्रदर्शनी तथा जलसों आदि जहाँ पर 250 वॉट से अधिक बिजली का इस्तेमाल किया जाना हो तथा एक समय में सौ या सौ से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की सम्भावना हो, उससे सम्बन्धित अस्थाई विद्युत अधिष्ठापन के सम्बन्ध में निम्न का पालन करें –

1. सुरक्षा की दृष्टि से टैन्ट/पंडाल किसी भी जीवित बिजली की लाईन के नीचे अथवा ट्रांफारमर के निकट स्थापित नहीं किये जाएं।

- मध्यम विभव बिजली की आपूर्ति लाईनों के नीचे नियमानुसार ऊर्ध्व क्लीयरेन्स एवं क्षैतिज क्लीयरेन्स बनाये रखे जाने आवश्यक हैं ।
- सभी विद्युत वायरिंग पी.वी.सी. शीथ्ड कन्डक्टर अथवा कन्ड्यूट में होगी एवं सभी जोड़ पोर्सिलिन/पी.वी.सी. इन्सूलेटेड कनैक्टर्स से साथ किये जाएंगें। 3 मीटर से कम ऊंचाई पर टैप्ड ज्वाइंट्स कदापि नहीं होने चाहिए।
- ट्यूबलाईट/सी.एफ.एल. एवं बिजली के अन्य लैम्प को उचित लैम्प होल्डर या फ्रेम के साथ ही प्रयोग में लाया जाए।
- बिजली वायरिंग का कार्य राज्य सरकार द्वारा लाइसेन्स प्राप्त विद्युत ठेकेदार से, पर्यवेक्षक की देखरेख में, परमिटधारी व्यक्ति द्वारा ही कराया जाए।
- संरचना में कहीं भी नायलॉन या सिंथेटिक रस्सियों का इस्तेमाल नहीं किया जाए।
- संरचना या पंडाल की छत की जमीन से ऊंचाई, किसी भी दशा में, 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
- गलियारा/कॉरिडोर की ऊंचाई 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
- विद्युत परिपथ का कोई भाग, बल्ब, ट्यूबलाईट आदि पंडाल/टैन्ट में किसी भी सजावटी अथवा अन्य ज्वलनशीन सामग्री के 15 सेमी के भीतर नहीं होना चाहिए।
- पंडाल/टैन्ट/अस्थायी संरचना के भीतर कहीं भी हैलोजन लैम्प का प्रयोग न करें।
- धार्मिक प्रयोजनों के लिए छोटे आकार के एवं नियंत्रित आग को छोड़कर, पंडाल/टैन्ट/अस्थायी संरचना के भीतर या बिल्कुल आसपास आग अथवा किसी भी तरह की खुली लौ का प्रयोग न करें।
- रसोई क्षेत्र को टैन्ट/पंडाल से पूरी तरह से अलग किया जाए एवं अधिमानतः जी.आई. शीट्स से बनाया जाए।

2. अधिष्ठापन को प्रयोग में लाने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व विद्युत सुरक्षा विभाग के सम्बन्धित सहायक विद्युत निरीक्षक एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी को विवरण सहित नोटिस दें।

3. बिजली कनेक्शन उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 से प्राप्त करें।

4. विद्युत अधिष्ठापन का कार्य राजकीय लाईसेंस प्राप्त बिजली ठेकेदार से करवायें।

5. कार्यपूरक प्रमाण–पत्र तथा निरीक्षण शुल्क से सम्बन्धित कोषागार चालान सम्बन्धित सहायक विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग को उपलब्ध करवा कर निरीक्षण करवायें। अधिष्ठापन को प्रयोग में लाने हेतु लिखित अनुमति उनसे प्राप्त कर लें।

उल्लेखनीय है कि विद्युत सुरक्षा विभाग से बिना अनुमति प्राप्त किये हुए ऐसे अस्थायी विद्युत अधिष्ठापन को प्रयोग में लाना कानूनी अपराध है, तथा इसके लिये दण्डित किया जा सकता है।

पीछे

होम